

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 268 / 14

संस्थापन दिनांक:-08 / 05 / 14

फाईलिंग नं. 233504003372014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

भोला उर्फ भोले पिता मदन बसदेवा
 उम्र 29 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.03.2014 को समय 11:40 बजे या उसके लगभग फरियादी का मकान ग्राम टांडा जम्बाड़ी खुर्द थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुरजलाल बसदेवा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मे उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुरजलाल बसदेवा और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सुरजलाल को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी सुरजलाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 22.03.2014 को रात करीब 11:40 बजे उसके घर पर था। उसका दामाद भोला उर्फ भोले आया और उसके घर के अंदर घुसकर कहा कि संगीता कहा है जिस पर उसने कहा कि संगीता उसके घर नहीं है। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया और लकड़ी से मारपीट किया। मारपीट से उसे बांये हाथ, कलाई, भुजा एवं बीच की दो अंगुली में चोट आयी। उसकी पत्नी सिग्दोबाई द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसे भी लकड़ी

से मारपीट किया जिससे उसकी पत्नी को दांहिने हाथ की कलाई एवं भुजा पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसके घर के अंदर संगीता को देखा परंतु संगीता नहीं मिली। अभियुक्त ने उसे जान से मारकर खत्म करने की धमकी भी दी। अभियुक्त ने उसके घर में संगीता के साथ लकड़ी से मारपीट किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 237/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में आहतगण सिगधो एवं संगीता का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 323(दो काउंट में) भा. द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त का फरियादी सुरज से राजीनामा न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 452, 294, 323, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सुरजलाल बसदेवा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
3. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
4. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित

हुआ था ?

5. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सुरजलाल को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02, 03, 04 एवं 07 का निराकरण

6 सुरजलाल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने गाली गलौच की थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

7 साक्षी/फरियादी सुरजलाल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा गाली गलौच दी जाना बताया है परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 05 एवं 06 का निराकरण

9 सुरजलाल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि ६ टना के समय अभियुक्त भोला शराब पीकर आया और उसकी लठ से पिटाई की जिससे उसे सिर और पसली में चोट आयी थी।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 23.03.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुरजलाल का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत की बांयी हथेली पर 2 गुणा 1 एवं 2 गुणा 1 एवं 1 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन, बांयी अग्रभुजा में 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच तथा बांयी भुजा पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित भी किया है।

11 सिगधोबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके पति एवं अभियुक्त के बीच में घरेलू बातें चल रही थी, तभी संगीता अपने पति भोला को खींच कर दूसरी तरफ ले जाने लगी और उसके पति सुरजलाल धक्का मुक्की कर रहे थे जिससे वो गिर पड़े और सिर में चोट आ गयी। संगीता (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके पिता एवं उसके पति के बीच में विवाद चल रहा था। उसने दोनों को अलग-अलग किया। पिता नाराज थे तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी। उपर्युक्त दोनों साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी थी केवल बहस हो रही थी।

12 सुरजलाल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा लठ से मारपीट करना बताया है एवं सिर तथा पसली में चोट आना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त उसका दामाद है। उसकी लड़की संगीता को अच्छे से नहीं रखता है इसी बात की उसे रंजिश है। इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि बीच बचाव में उसे गिरने से सिर में चोट आ गयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे हाथ, कलाई और भुजा पर चोट आयी थी।

13 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने पर फरियादी सुरजलाल को हाथ, कलाई एवं भुजा में चोट आयी परंतु साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सिर एवं पसली में चोट आना बताया है। चिकित्सकीय परीक्षण में भी साक्षी के बांये हाथ की हथेली, बांयी अग्र भुजा एवं बांयी भुजा पर खरोच एवं सूजन पायी गयी थी। साक्षी सुरजलाल (अ.सा.-2) ने

अपने प्रतिपरीक्षण में बीच बचाव में गिर जाने से सिर में चोट आना बताया है। साक्षी की साक्ष्य किसी भी अन्य साक्षी की साक्ष्य से समर्थित नहीं है और न ही चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। अतः साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त भोला के द्वारा फरियादी सुरजलाल की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

14 सिगधोबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय सभी लोग घर के बाहर बैठे हुए थे और घर के बाहर ही उसके पति और अभियुक्त के बीच में विवाद होने लगा। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना के समय उसके पति सुरजलाल घर के अंदर बैठे थे और अभियुक्त घर के अंदर आया था। संगीता (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थी तथा घर के बाहर आंगन में उसके पिता एवं उसके पति के बीच में विवाद हो रहा था। साक्षी से न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था। साक्षी ने स्वतः में बताया है कि झगड़ा आंगन में हुआ था। सुरजलाल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना घर के आंगन की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त से जो विवाद हुआ था वह घर के बाहर हुआ था।

15 किसी भी अभियोजन साक्षी ने घर के अंदर की घटना न होना बताया है। फलतः उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को उपहति कारित करने की तैयारी करने के पश्चात फरियादी के मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुरजलाल बसदेवा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरुद्ध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुरजलाल बसदेवा और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सुरजलाल को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी सुरजलाल को जान से मारने की धमकी देकर

आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त भोला उर्फ भोले को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)